

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधित प्रार्थन पत्र संख्या – 26 / 2012 / उदयपुर.

मैसर्स एटलस मार्झिनिंग टूल्स,
तोरण बावड़ी, उदयपुर।

प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, जोन-प्रथम, जयपुर।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य.

उपस्थित :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.01.2014

निर्णय

उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 1760 / 2010 / उदयपुर, में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें प्रार्थी व्यवहारी ने पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012 में अभिलेख की प्रकट भूल होने के कारण इसे, परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा गया है) द्वारा दिनांक 16.11.2006 को दिल्ली रोड़ चंदवाजी के पास बस संख्या आर.जे.27 / पी-4701 को वैक किये जाने पर बस की छत पर 100 नग "हॉट स्टील रोड" परिवहनित किये जाते हुए पाये गये। वाहन चालक द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित मैसर्स रोबोट फिनलीज (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली का बिल संख्या 66 दिनांक 9.11.2006 प्रस्तुत किया गया। उक्त माल अधिसूचित श्रेणी का होने तथा माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाये जाने तथा माल की विधिक घोषणा सीमावर्ती प्रवेश चैकपोस्ट पर नहीं किये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ माल का घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 4106803 भरकर प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि आयातित माल मार्झिनिंग पार्ट्स होने से अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आने

परिशोधित प्रार्थन पत्र संख्या – 26/2012/उदयपुर.

से इसके परिवहन हेतु घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता नहीं है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आयातित 'हॉट स्टील रोड्स' अधिसूचित माल होने से उनके उक्त जवाब एवं प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति ₹ 56,160/- एवं कर ₹ 7490/- कुल ₹ 63,650/- आरोपित करने का आदेश दिनांक 22.11.2006 को पारित किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा द्वितीय अपील जो क्रमांक कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 27.07.2012 के प्रस्तुत अपील को संशोधन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2007 के तहत वेट अधिनियम की 'धारा 76 की उपधारा (2)(ए)' के स्थान पर 'धारा 76 की उपधारा (2)(बी)' का प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् दिनांक 1.4.2006 से किये जाने के कारण होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत दिनांक 1.4.2006 से ही शास्ति आरोपणीय होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। उक्त पारित निर्णय दिनांक 27.02.2012 को परिशोधित करने हेतु यह परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012 के पृष्ठ क्रमांक-4 के अंतिम पैरा व पृष्ठ क्रमांक-5 के प्रथम पैरा में अधिनियम की धारा 76(6) में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के उल्लंघन के लिये शास्ति आरोपण का प्रावधानइ अस्तित्व में थे जबकि धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के लिये धारा 76(6) में शास्ति आरोपण सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2007 (संशोधन) के जरिये दिनांक 27.12.2006 से किये गये हैं जो दिनांक 09.04.2007 से प्रभावी है न कि दिनांक 01.04.2006। अतः उक्त पारित निर्णय में उठायी गयी तथ्यात्मक आपत्ति के आलोक में परिशोधित कर, प्रार्थी को आरोपित शास्ति के संबंध में राहत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण व संचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश अधिनियम की धारा 33 की परिधि

परिशोधित प्रार्थन पत्र संख्या – 26/2012/उदयपुर.

के बाहर होने का तर्क देते हुये कथन किया कि माननीय एकलपीठ (समन्वय) पीठ का निर्णय दिनांक 27.07.2012, जिसमें परिशोधन चाहा गया है, वह संचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन (Review) नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत प्रकरण में निर्णय दिनांक 02.07.2012 परिशोधन योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। जहां तक प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है कथन किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2007 के संशोधन दिनांक 27.12.2006 द्वारा वेट अधिनियम की “धारा 76 की उपधारा (2)(ए)” के स्थान पर “धारा 76 की उपधारा (2)(बी)” का प्रतिस्थापन भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् दिनांक 1.4.2006 से किये जाने के कारण विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क उचित नहीं है कि दिनांक 27.12.2006 से पूर्व वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क कि दिनांक 27.12.2006 से पूर्व वेट अधिनियम की धारा 76(6) में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के उल्लंघन के लिये शास्ति आरोपण का प्रावधान था जबकि धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के लिये धारा 76(6) में शास्ति आरोपण का प्रावधान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2007 (संशोधन) से किये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2006 से पूर्व वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त संशोधन, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2007 के तहत वेट अधिनियम की ‘धारा 76 की उपधारा (2)(ए)’ के स्थान पर ‘धारा 76 की उपधारा (2)(बी)’ का प्रतिस्थापन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् दिनांक 1.4.2006 से किया गया है। अतः वेट अधिनियम का संशोधन दिनांक 27.12.2006 दिनांक 1.4.2006 से ही प्रभावी होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन के लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत दिनांक 01.04.2006 से ही शास्ति आरोपणीय होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के आलोक में, पूर्व में संचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय का पुनर्विलोकन करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च

परिशोधित प्रार्थन पत्र संख्या – 26/2012/उदयपुर.
न्यायालय ने अपने हालिया न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम् मैसर्स मकाड़
प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक

29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट253 पर प्रकाशित है में सिद्धांत
प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की
धारा 33 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि धारा 33
की परिधि (Scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। अतः माननीय
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत, (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 जो
अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के संबंध में ही है, में प्रतिपादित सिद्धांतों
के आलोक में, व धारा 76(2)(ए) के उल्लंघन के स्थान पर धारा 76(2)(बी) के
उल्लंघन संबंधी संशोधन दिनांक 01.04.2006 से किये जाने के प्रावधानों के
दृष्टिगत, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र विधिसम्मत एवम् न्यायोचित नहीं होने
के कारण, अस्वीकार योग्य है। लिहाजा, इसे अस्वीकार किया जाता है।

परिणामतः, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

10.1.14
(मदन लाल)
सदस्य